फा.सं.ए-12026/24/2021-ईएस सेल - डीओआर
F.No.A-12026/24/2021-ES Cell-DOR
भारत सरकार/**Government of India**
वित्त मंत्रालय/**Ministry of Finance**
राजस्व विभाग/**Department of Revenue**
* * * * * *

कमरा सं. 14108कर्तव्य भवन-I,
नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ए') के पद को भरने – के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने के लिए निदेश हुआ है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 6 के संदर्भ में केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की स्थापना की है।

2. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी का एक पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। इस पद का विवरण और पात्रता मानदंड नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	पात्रता मापदंड
1.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**11 (67700/-रु.-208700/-** रु.)।	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारी जो,- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य या स्तर-10 (15600/-रुपये-17750/-रुपये) के ग्रेड पे में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य या स्तर-8 (47600/-रुपये-151100/-रुपये) के ग्रेड पे में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छ: वर्ष की सेवा की है; तथा (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री हो; (ii) प्रशासन या लेखा या बजट कार्यों को करने का

3.			पाँच वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित वेतन संरचना जिस तारीख से लागू हुई है।) से पूर्व नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित समतुल्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ हुआ है, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

3. वेतन और भत्ते तथा अन्य शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विनियमित किये जाएंगे।

4. इच्छुक एवं योग्य अधिकारी इस परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से **60 दिनों के भीतर** संलग्न प्रपत्र (प्रोफार्मा-जे) में इस पद के लिए आवेदन संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से **अवर सचिव (ईएस सेल), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा संख्या 14108, चौथी मंजिल, 'सी' विंग, कर्तव्य भवन – I, नई दिल्ली-110001 को भेजें**। रिक्तियों का परिपत्र और प्रोफार्मा-जे राजस्व विभाग की वेबसाइट https://dor.gov.in/vacancies से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

5. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे पात्र और इच्छुक अधिकारियों के आवेदनों को अग्रेषित करते समय सतर्कता मंजूरी को संलग्न करें जिसमें यह भी शामिल हो कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक मामला लंबित है या विचाराधीन है, पिछले 10 वर्षों के लिए मेजर/माइनर पेनल्टी स्टेटमेंट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.)/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की जानी चाहिए। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक संवर्ग मंजूरी देने से पहले ऊपर विनिर्दिष्ट

सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों का सत्यापन भी करता है। एक बार संवर्ग मंजूरी दिए जाने के बाद यह मान लिया जाएगा कि पात्रता की शर्तें पूरी हो गई हैं और विवरण सही हैं।

प्रशांत सागर
24/8/26

(प्रशांत सागर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 2401-2620

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने मंत्रालयों/विभागों में एवं अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित करें।
2. अनुभाग अधिकारी, कंप्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग, कर्तव्य भवन – I, नई दिल्ली-110001 को इस रिक्ति परिपत्र को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।